परचून की दुकान में बेच व पिला रहा था शराब,

भतरौजखान पुलिस ने अवैध शराब के साथ दुकानदार को किया गिरफ्तार

श्री देवेन्द्र पींचा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा जनपद पुलिस की कमान संभालते ही समस्त थाना/चौकी व एसओजी/एएनटीएफ प्रभारियों को जनपद में अवैध मादक पदार्थो की तस्करी की रोकथाम व होटल/ढाबों, रेस्टोरेण्टों व दुकानों में अवैध रुप से शराब बेचने व पिलाने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिये गये है।

सीओ अल्मोड़ा श्री विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष श्री मदन मोहन जोशी के नेतृत्व में भतरौजखान पुलिस द्वारा दिनांक- 13/01/2024 को चेकिंग के दौरान बासोट बाजार में दुकानदार केशव दत्त शर्मा को अपनी परचून दुकान में अवैध शराब रखकर बेचने व पिलाने पर उसके कब्जे से 14 पव्वे,02 अद्धे अंग्रेजी शराब व 11 बीयर केन बरामद व पिलाने के गिलास के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए थाना भतरौजखान में आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत एफआईआर पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

केशव दत्त शर्मा उम्र 39 वर्ष पुत्र लीलाधर शर्मा निवासी बासोट भतरौजखान

पुलिस टीम

1-अपर उ0नि0 श्री राम सिंह, थाना भतरौजखान

2-हे0कानि0 श्री मोहन सिंह, थाना भतरौजखान

3-म0का0 सुश्री मीनू,थाना भतरौजखान